

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

सं०-03/उ०नि०/(HTF-13)-12/2013

शुद्धि पत्र

स्वीकृत्यादेश संख्या-3367, दिनांक-01.10.2018 की कंडिका-05 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं०-4052, दिनांक-19.11.2018 की कंडिका-1 को पूर्ण रूप से संशोधित की जाती है, तदनुसार इसे इस प्रकार पढ़ा जाए :-

"उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से एकमुश्त राशि की निकासी कर उद्योग मित्र के पी०एल० खाता सं०-277 में उपलब्ध करायेंगे। जिसका व्यय आवश्यकतानुसार उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी फार्म-बी०टी०सी०-46 पर की जायेगी।"

- उक्त वाक्य को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।
- स्वीकृत्यादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-  
(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../  
सं०-03/उ०नि०/(HTF-13)-12/2013

प्रतिलिपि:- स्वीकृत्यादेश संख्या-3367, दिनांक-01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं०-4052, दिनांक-19.11.2018 की छायाप्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../  
सं०-03/उ०नि०/(HTF-13)-12/2013

प्रतिलिपि:- स्वीकृत्यादेश संख्या-3367, दिनांक-01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं०-4052, दिनांक-19.11.2018 की छायाप्रति के साथ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../  
सं०-03/उ०नि०/(HTF-13)-12/2013

प्रतिलिपि:- स्वीकृत्यादेश संख्या-3367, दिनांक-01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं०-4052, दिनांक-19.11.2018 की छायाप्रति के साथ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु० संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक.....125/  
सं०-03/उ०नि०/(HTF-13)-12/2013

प्रतिलिपि:- स्वीकृत्यादेश संख्या-3367, दिनांक-01.10.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं०-4052, दिनांक- 19.11.2018 की छायाप्रति के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना Xआई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ०नि०)/प्रशाखा-1, योजना, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

178

पत्रांक... 3367/  
03/उ0नि0/योजना(भा0अ0व्या0मे0-13)-12/13

पटना, दिनांक 01.10.18

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

**विषय:—** वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (14-27 नवम्बर 2018 तक), प्रगति मैदान नई दिल्ली के आयोजन हेतु अनुमानित व्यय ₹73.00 लाख (तिहत्तर लाख रुपये) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश :-** स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (14-27 नवम्बर 2018 तक), प्रगति मैदान नई दिल्ली के आयोजन हेतु अनुमानित व्यय ₹73.00 लाख (तिहत्तर लाख रुपये) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- (2) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुरूप की जायेगी।
- (3) उक्त योजना का कार्यान्वयन एजेंसी उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु० संस्थान, पटना को नामित किया गया है।
- (4) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0101 हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड 23-2851001040101, विषय शीर्ष 0101.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध से विकलनीय होगा। जिसके लिये यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।
- (5) उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से एकमुश्त राशि की निकासी कर RTGS के माध्यम से उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड (06379), पटना के चालू खाता सं०-31599798732 में उपलब्ध करायेगें। राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद के आधार पर फार्म-बी0टी0सी0-25 पर की जायेगी।
- (6) इस योजना के कार्यान्वयन एवं नियंत्रि पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे।
- (7) राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक 4263 दिनांक 20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जायेगी।
- (8) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा व्यय प्रतिवेदन में विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे। उक्त योजना राज्य सरकार की एक चालू योजना है।
- (9) प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका सं०-03/उ0नि0/योजना(भा0अ0व्या0मे0-13)-12/13 के पृष्ठ-88/टि० पर दिनांक-17.09.2018 को प्राप्त है।

1177

- :02: -

(10) वित्त विभागीय पत्रांक-7355/वि0(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01.10.18

ज्ञापांक 3367 /

03/उ0नि0/योजना(भा0अ0व्या0मे0-13)-12/13

प्रतिलिपि:-संलग्न परिशिष्ट-1 के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01.10.18

ज्ञापांक 3367 /

03/उ0नि0/योजना(भा0अ0व्या0मे0-13)-12/13

प्रतिलिपि:- संलग्न परिशिष्ट-1 के साथ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01.10.18

ज्ञापांक 3367 /

03/उ0नि0/योजना(भा0अ0व्या0मे0-13)-12/13

प्रतिलिपि:- संलग्न परिशिष्ट-1 के साथ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01.10.18

ज्ञापांक 3367 /

03/उ0नि0/योजना(भा0अ0व्या0मे0-13)-12/13

प्रतिलिपि:- संलग्न परिशिष्ट-1 के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ0नि0)/प्रशाखा-1, योजना, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

1776

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (14-27 नवम्बर, 2018 तक), नई दिल्ली में आयोजन हेतु मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0101 हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड 23-2851001040101, विषय शीर्ष 0101.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन मद के अन्तर्गत अनुमानित व्यय विवरणी :-

क्र०	मद	अनुमानित व्यय राशि (लाख में)
1.	भारतीय ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को विभिन्न मदों में यथा हैंगर हॉल/लाइसेंस शुल्क/विद्युत शुल्क/पानी शुल्क/मलवा सफाई/सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु स्थल शुल्क/कार्ड स्टाम्पींग/फूड कोर्ट आरक्षण आदि मदों में शुल्क के भुगतान हेतु	₹25.00
2.	आई० टी० पी० ओ०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित थीम के अनुरूप बिहार मंडप का आन्तरिक एवं वाह्य सजावट/थीम के अनुरूप मंडप का डिजाइन/ट्रांसलाईट/ब्लोअप्स/स्टॉल/डिस्प्ले पैनल्स/लाईव-डेमो/प्रदर्शनी कक्ष आदि का साज-सज्जा/टैक्सी-परिवहन/गर्ल गाईड पारिश्रमिक-परिधान/दूरभाष/मोबाईल/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी-कर्मचारी के आवासन की व्यवस्था/सुरक्षा व्यवस्था/सी० सी० टी० वी०/विज्ञापन/प्रचार-प्रसार/प्रिंटिंग इत्यादि कार्य हेतु	₹35.00
3.	सांस्कृतिक कार्यक्रम/अतिविशिष्ट अतिथि सत्कार/बिहार दिवस प्रेस कॉन्फ्रेस/सेमिनार का आयोजन	₹10.00
4.	कार्यालय व्यय/आकस्मिक व्यय/मानदेय/ड्रेस कोड	₹3.00
क्रमांक-01-04 तक का योग :-		₹73.00

(तिहत्तर लाख रू०) मात्र

(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

163

संक्र-03/उ0नि0/योजना(भा0अ0व्या0मे0-13)-12/13

शुद्धि पत्र

स्वीकृत्यादेश संख्या-3367, दिनांक-01.10.2018 की कंडिका-05 का अंतिम वाक्य निम्नलिखित है:-  
"राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद के आधार पर फार्म-BTC-25 पर की जायेगी।"

उक्त वाक्य को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय-

"राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना द्वारा फार्म-BTC-26 पर की जायेगी। एकमुश्त अग्रिम राशि की निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।"

2. स्वीकृत्यादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 19.11.18

ज्ञापांक

4052

03/उ0नि0/योजना(भा0अ0व्या0मे0-13)-12/13

प्रतिलिपि:- स्वीकृत्यादेश संख्या-3367, दिनांक-01.10.2018 की छायाप्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 19.11.18

ज्ञापांक

4052

03/उ0नि0/योजना(भा0अ0व्या0मे0-13)-12/13

प्रतिलिपि:- स्वीकृत्यादेश संख्या-3367, दिनांक-01.10.2018 की छायाप्रति के साथ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 19.11.18

ज्ञापांक

4052

03/उ0नि0/योजना(भा0अ0व्या0मे0-13)-12/13

प्रतिलिपि:- स्वीकृत्यादेश संख्या-3367, दिनांक-01.10.2018 की छायाप्रति के साथ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 19.11.18

ज्ञापांक

4052

03/उ0नि0/योजना(भा0अ0व्या0मे0-13)-12/13

प्रतिलिपि:- स्वीकृत्यादेश संख्या-3367, दिनांक-01.10.2018 की छायाप्रति के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0. प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ0नि0)/प्रशाखा-1, योजना, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।